न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 07 / 2021

संदीप कुमार सिंगला पुत्र कृष्णचन्द जाति अग्रवाल निवासी मकान नं. 22 शिव चौक श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1 मंदीप कुमार सिंगला पुत्र कृष्णचंद जाति अग्रवाल निवासी मकान नं. 22 श्रीराम कॉलोनी शिव चौक श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए.

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता (प्रार्थी)
2 श्री दीपक स्वामी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

दिनांक : 29.1.21

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी ए. के तहत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया किचक 23 एस डी एस जमाबदी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 7/7 प.न. 13/147 मु.न. 63 कि.न. 11, 20, 21 प्रत्येक में 0.253 है. बारानी कुल 0.759 है. बारानी आराजी प्रार्थी के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक 23 एस डी एस जमाबदी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 232/7 प.न. 13/147 मु.न. 63 कि.न. 1/1, 10 में 0.481 है. बारानी कुल खाता 0. 481 है. बारानी आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी व अप्रार्थी के हक हिस्सा एव कबजा काश्त की आराजी पास मु.न. 63 के कि.न. 1 ता 5 में पूर्व से पश्चिम उत्तर दिशा में मुख्य सड़क है एव प्रार्थी की आराजी में आने जाने के लिये प्रार्थी मु.न. 63 कि.न. 1/1, 10 के पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता का उपयोग व उपभोग कर रहा है जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त आराजी संयुक्त रूप से खरीद की हुयी है एव खरीद के समय ही प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ने आपसी सहमति से प.न. 13/147 मु.न. 63 कि. न. 1/1 में 0.038 है. व कि.न. 10 में 0.038 है. रास्ता प्रत्येक किला के पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण छोड़ दिया था व मौका पर उक्त किलों में उक्तानूसार ही रास्ता चला आ रहा है एव प्रार्थी अपने हक हिस्सा मे आने जाने के लिये उक्त रास्ता का बिना किसी विघ्न के उपयोग व उपभोग कर रहा है परन्तु रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नही होने के कारण प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एव आराजी मुख्य सड़क से दूरी पर होने के कारण प्रार्थी की आराजी में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही है इस कारण प्रार्थी को अपने हक हिस्सा की आराजी में आने जाने के लिये रास्ता की अत्यंतिक आवश्यकता है, प्रार्थी सहमति से चल रहे उक्त किलाजात में रास्ता स्वीकृत करवाकर दर्ज करवाने का कानूनन हक अधिकारी है। प्रार्थी एव अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त किला विशेष आराजी खरीद करते वक्त ही रास्ता छोड़ दिया था एव रास्ता मौका पर चल

Scanned with CamScanner

रहा है एव प्रार्थी एव अप्रार्थी ने दौराने रजिस्टर्ड बैयनामा उक्त रास्ता की आराजी को छोड़ने बाबत लेखनकर्ता को अवगत करवा दिया था , परन्तु रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड मे हुआ या नही इन तथ्यों की प्रार्थी को जानकारी नही थी, अब प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की आराजी पर बैंक ऋण हेतू जमाबदी निकलवायी तब प्रार्थी को ईल्म हुआ की रास्ता का अंकन किलो विशेष में नही हुआ है तब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि वह उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करवाने हेतू अपनी सहमति प्रदान कर देवे तो दिनांक 3.01.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 ने स्पष्ट ईन्कार कर दिया एव तहसीलदार सादुलशहर द्वारा यह कहते हुये ईन्कार कर दिया कि पहले सक्षम न्यायालय से आदेश लाओ तो ही राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करेगें, बस यही बिनाये प्रार्थना पत्र है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी. ए. मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के हक हिस्सा की आराजी में आने जाने के लिये चक 23 एस डी एस जमाबदी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 232/7 प.न. 13/147 मु.न. 63 कि.न. 1/1 , 10 के पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रत्येक किला में 0.038 है. –0.038 है. रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ। पत्रावली पर आपसी सहमति होने के कारण रिपोर्ट की आवश्यकता नही।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथनों को स्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थी व अप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य है एव प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम से आराजी का खाता अलग अलग कायम है एव प्रार्थी की आराजी में आने जाने के लिये अन्य कोई मार्ग नही है एव चाहे गये रास्ता के सम्बध में अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है , इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की आराजी में आने जाने के लिये अप्रार्थी के हक हिस्सा की चक 23 एस डी एस जमाबदी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 232/7 प.न. 13/147 मु.न. 63 कि.न. 1/1 , 10 के पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रत्येक किला में 0.038 है. –0.038 है. रास्ता स्वीकृत किया जाता है । उक्तानुसार तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर रास्ता का गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.1.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.1.21

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned with CamScanner